भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

भूमि उच्छेद वाद सं0–06/2016–17

अंचल अधिकारी, गोड्डा

बनाम्

शशि सिंह

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक– 934/रा0, दिनांक–29/06/2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– गंगटा खुर्द, थाना नं0– 515, ज0 नं0–51, दाग नं0–1086/1386, रकवा–00–01–03 धुर जमीन जो खतियान में देवान हाँसदा वगैरह वर्त्तमान जमाबंदी रैयत जयनारायण हाँसदा वगैरह, पे0–रामकाश हाँसदा साकिन– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री शशि सिंह द्वारा दाग नं0–1086 रकवा–00–01–03 धुर आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया गया है।

अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। श्री शशि सिंह, ग्राम– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया है।

शशि सिंह द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। 00–01–03 (एक कट्ठा तीन धुर) इनके दादा को 1934 में खतियानी रैयत के वंशज द्वारा कुर्फानामा द्वारा रहने के लिए लिखा गया। जिनके द्वारा मकान बनाया गया। यह भूमि आवासीय भूमि है। अतः इस भूमि से उच्छेद करने का अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को नहीं है। बने हुए मकान में वे शांतिपूर्वक निवास करते है। नगर पंचायत को टैक्स देते है एवं बिजली विभाग को बिल देते है। उनके द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, गोड्डा अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्त्तमान जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।